

अध्याय-IV

**भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर
इनके अंगीकरण का प्रभाव**

अध्याय-IV

भारतीय लेखा मानकों में पारगमन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर इनके अंगीकरण का प्रभाव

यह अध्याय सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, तथा वित्तीय रिपोर्टिंग एवं अनुपालन पर इनके प्रभाव पर केंद्रित है। लेखापरीक्षा ने इंड एस प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन किया, प्रथम बार अंगीकरण से सम्बन्धित प्रकटीकरणों का विश्लेषण किया, तथा लाभप्रदता, राजस्व, परिसम्पत्तियों, एवं नेट वर्थ जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर वित्तीय प्रभाव का आकलन किया।

प्रस्तावना

4.1 किसी अर्थव्यवस्था की समग्र संवृद्धि एवं विकास में वित्तीय रिपोर्टिंग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण एवं उदारिकरण के युग ने सामाजिक गतिशीलता तथा वित्त, पूँजी, एवं वस्तुओं के सीमा-पार आवागमन को बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप, लेखा मानकों के एकल समुच्चय को अंगीकृत करना आवश्यक हो गया है।

वैश्विक लेखांकन परिदृश्य में सिद्धांत-आधारित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस), जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आईएसबी) द्वारा निर्धारित किया गया है, के उद्भव के साथ, भारतीय लेखा मानकों को अद्यतन आईएफआरएस के साथ अभिसरित करने की आवश्यकता अनुभूत की गई। आईएफआरएस के अंगीकरण अथवा उसके साथ अभिसरण से वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, एवं दक्षता में वृद्धि होती है तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास, विकास, एवं दीर्घवधि वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देकर जनहित की पूर्ती होती है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया। इन मानकों को आईएफआरएस के ढाँचे को संदर्भित करते हुए भारतीय आर्थिक तथा विधिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था।

इंड एस को आईएफआरएस के आधार पर बनाया गया था और यह सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांतों (आईजीएपी) के ढाँचे से मुख्य रूप से तीन प्रमुख पहलुओं, यथा उचित मूल्यांकन, विधिक रूप की अपेक्षा सार, तथा तुलन पत्र पर अधिक महत्व के आधार पर भिन्न है। ये इंड एस 1 अप्रैल 2016 से कंपनियों के निर्धारित वर्ग पर अनिवार्य रूप से लागू हैं। 31 मार्च 2023 को 39 इंड एस थे, जैसा कि **परिशिष्ट 4.1** में वर्णित है।

इंड एस की प्रयोज्यता के लिए रोडमैप

4.2 कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में चरणबद्ध तरीके से इंड एस में अनिवार्य पारगमन के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

चरण I:

1 अप्रैल 2016 या उसके बाद आरम्भ होने वाली लेखा अवधि के लिए, 31 मार्च 2016 या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक विवरण के साथ, चरण I में निम्नलिखित कंपनियाँ आच्छादित थीं:

- (i) ऐसी कंपनियाँ जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, तथा जिनका नेट वर्थ ₹ 500 करोड़ या अधिक है;
- (ii) उपरोक्त क्लॉज (i) में उल्लिखित कंपनियों के अतिरिक्त अन्य कंपनियाँ, जिनका नेट वर्थ ₹ 500 करोड़ या अधिक है; एवं
- (iii) उपरोक्त क्लॉज (i) तथा (ii) में उल्लिखित कंपनियों की नियंत्री, सहायक, संयुक्त उद्यम, या सहयुक्त कंपनियाँ।

चरण II:

1 अप्रैल 2017 या उसके बाद आरम्भ होने वाली लेखा अवधि के लिए, 31 मार्च 2017 या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक विवरण के साथ, चरण II में निम्नलिखित कंपनियाँ आच्छादित थीं:

- (i) ऐसी कंपनियाँ जिनकी इक्विटी या ऋण प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं, तथा जिनका नेट वर्थ ₹ 500 करोड़ से कम है;
- (ii) उपर्युक्त क्लॉज (i) में उल्लिखित कंपनियों के अतिरिक्त अन्य कंपनियाँ, अर्थात् गैर-सूचीबद्ध कंपनियाँ जिनका नेट वर्थ ₹ 250 करोड़ या अधिक परन्तु ₹ 500 करोड़ से कम है; एवं
- (iii) उपर्युक्त कंपनियों की नियंत्री, सहायक, संयुक्त उद्यम, या सहयुक्त कंपनियाँ।

अग्रेतर, कोई भी कंपनी स्वैच्छिक रूप से 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद आरम्भ होने वाली लेखा अवधि के लिए, 31 मार्च 2015 या उसके बाद किसी भी समय समाप्त होने वाली अवधि के तुलनात्मक विवरण के साथ, वित्तीय विवरणों हेतु इंड एस लागू कर सकती है। एक बार जब कोई कंपनी विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर स्वैच्छिक रूप से या अनिवार्य रूप से इंड एस का पालन करना प्रारम्भ कर देती है, तो उसे बाद के सभी वित्तीय विवरणों के लिए इंड एस का पालन करना आवश्यक होता है, भले ही बाद में विनिर्दिष्ट मानदण्डों में से कोई भी उस पर लागू न हो।

एसपीएसई द्वारा प्रथम-बार इंड एस के अंगीकरण की स्थिति

4.3 उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2023 को, 107 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन थे, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित थे। इन 107 एसपीएसई में से, 26 एसपीएसई (चरण I - 18 एसपीएसई, चरण II - पाँच एसपीएसई, तथा स्वैच्छिक अंगीकरण - तीन एसपीएसई), जैसा कि परिशिष्ट 4.2 में दिया गया है, ने इंड एस को अंगीकृत किया था।

तीन एसपीएसई, जिन्होंने स्वेच्छा से इंड एस को अंगीकृत किया था, में से एक एसपीएसई, अर्थात्, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से इंड एस को अंगीकृत किया था।

इंड एस को प्रथम-बार अंगीकृत किये जाने की समीक्षा

4.4 इंड एस 101 (प्रथम-बार इंड एस का अंगीकरण) उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसका पालन किसी कंपनी को प्रथम बार इंड एस को अंगीकृत करते समय करना चाहिए। प्रथम बार इंड एस को अंगीकृत करने वाली कंपनी के वित्तीय परिणामों में, आईजीएपी के अनुसार अपनी इक्विटी तथा शुद्ध लाभ/हानि का इंड एस के अनुसार इक्विटी तथा शुद्ध लाभ/हानि से मिलान को सम्मिलित करना आवश्यक है। यह मिलान पणधारियों को पिछले आईजीएपी से इंड एस में पारगमन के परिणामस्वरूप तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि के विवरण में होने वाले महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने में सक्षम करने के लिए आवश्यक है।

इंड एस 101 का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि प्रथम बार अंगीकरण वाले को वित्तीय विवरण इस तरह तैयार करना चाहिए जैसे कि उसने सदैव इंड एस लागू किया हो। यद्यपि, यह इंड एस के पूर्ण पूर्वप्रभावी प्रयोग के सिद्धांत से दो प्रकार की छूट, अर्थात्, अनिवार्य छूट तथा वैकल्पिक छूट, अनुमन्य करता है।

(i) अनिवार्य छूट

इंड एस 101 अन्य इंड एस अर्थात् इंड एस 10 (रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं), इंड एस 109 (वित्तीय लिखतें), तथा इंड एस 110 (समेकित वित्तीय विवरण) के कुछ पहलुओं के पूर्वप्रभावी प्रयोग को प्रतिबंधित करता है।

(ii) वैकल्पिक छूट

इंड एस 101 अन्य इंड एस की विशिष्ट आवश्यकताओं से छूट प्रदान करता है। ये वैकल्पिक छूट आईजीएपी से इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में पारगमन की तिथि से लागू होती हैं। पारगमन की तिथि से तात्पर्य उस प्रारंभिक अवधि की शुरुआत से है जिसके लिए कोई कंपनी अपने प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में इंड एस के अनुसार पूर्ण तुलनात्मक सूचनाएँ प्रस्तुत करती है।

25 एसपीएसई¹ द्वारा अपने प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किये गये विभिन्न वैकल्पिक छूटों का विवरण परिशिष्ट 4.3 में दिया गया है तथा तालिका 4.1 में संक्षेपित है।

तालिका 4.1: एसपीएसई द्वारा उपयोग किये गये वैकल्पिक छूटों का विवरण

क्र. स.	वैकल्पिक छूट का विवरण	वैकल्पिक छूट का उपयोग करने वाले एसपीएसई की संख्या
1.	इंड एस 16 (सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण), इंड एस 38 (अमूर्त परिसम्पत्तियाँ), तथा इंड एस 40 (निवेश सम्पत्ति) इंड एस 101 यह प्रावधानित करता है कि प्रथम बार अंगीकरण करने वाला, इंड एस में पारगमन की तिथि पर किसी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसम्पत्ति, तथा निवेश सम्पत्ति को उसके उचित मूल्य पर मापने का विकल्प चुन सकता है और उस तिथि पर उस उचित मूल्य का अपनी मानित लागत के रूप में उपयोग कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह इंड एस में पारगमन की तिथि को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त वहन मूल्य को जारी रखने का विकल्प चुन सकता है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है, तथा विमुक्ति दायित्वों को समाप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन करने के पश्चात्, पारगमन की तिथि पर उसका अपनी मानित लागत के रूप में उपयोग कर सकता है।	25
2.	इंड एस 27 (पृथक वित्तीय विवरण) इंड एस 27 यह अपेक्षा करता है कि कोई संस्था, सहायक, संयुक्त उद्यमों व सहयुक्त कंपनियों में अपने निवेश को या तो लागत पर या इंड एस 109 (वित्तीय लिखतों) के अनुसार लेखाबद्ध करे। यदि प्रथम बार अंगीकृत करने वाला, ऐसे निवेश को लागत पर मापता है, तो उसे उस निवेश को इंड एस 27 के अनुसार निर्धारित लागत पर या मानित लागत पर मापना होगा। यदि मानित लागत पर मापा जाता है, तो ऐसे निवेश की मानित लागत या तो इंड एस में पारगमन की तिथि पर उचित मूल्य हो सकती है या उस तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार वहन धनराशि हो सकती है।	01
3.	इंड एस 17 (पट्टे) इंड एस 101 प्रथम बार अंगीकृत करने वाले को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि क्या इंड एस में पारगमन की तिथि पर विद्यमान व्यवस्था में, इंड एस में पारगमन की तिथि पर विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर, पट्टा सम्मिलित है या नहीं, सिवाय इसके कि जहाँ प्रभाव महत्वपूर्ण न होना अपेक्षित है।	01

स्रोत: एसपीएसई के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरण

लेखापरीक्षा परिणाम

4.5 लेखापरीक्षा ने 25 एसपीएसई (मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर), जिन्होंने इंड एस को अंगीकृत किया था, के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय

¹ मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर क्योंकि इसने अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से ही इंड एस को अंगीकृत किया था।

विवरणों के साथ इन एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त सूचनाओं की समीक्षा की। इंड एस को समय पर अंगीकृत करने तथा इंड एस में पारगमन से सम्बन्धित समाधान विवरण तैयार करने में कमियाँ पाई गईं।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने राजस्व, कर पश्चात् लाभ, कुल परिसम्पत्तियों, तथा नेट वर्थ जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर इंड एस को अंगीकृत करने के वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण किया। इंड एस को अंगीकृत करने में देखी गई कमियों तथा वित्तीय प्रभाव के विश्लेषण के परिणामों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

इंड एस को अंगीकृत करने में विलम्ब

4.6 जैसा कि प्रस्तर 4.2 में चर्चा की गई है, विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूर्ण करने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल 2016 या 1 अप्रैल 2017, जैसा भी प्रकरण हो, को या उसके बाद आरम्भ होने वाली लेखा अवधि हेतु अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनिवार्य रूप से इंड एस को अंगीकृत करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच एसपीएसई ने इंड एस को अनिवार्य रूप से अंगीकृत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- **यू.पी. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड** की 31 मार्च 2017 को नेट वर्थ ₹ 342.19 करोड़ थी। तदनुसार, उसे वर्ष 2017-18² के लिए अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु अनिवार्य रूप से इंड एस को अंगीकृत करना आवश्यक था। यद्यपि, उसने उस वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए इंड एस को अंगीकृत नहीं किया।
- **उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड** की 31 मार्च 2018 को नेट वर्थ ₹ 267.55 करोड़ थी, और इसलिए, उसे वर्ष 2018-19 के लिए अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनिवार्य रूप से इंड एस को अंगीकृत करना आवश्यक था। यद्यपि, उसने 2018-19 से 2020-21 तक लगातार तीन वर्षों तक इंड एस को अंगीकृत नहीं किया और वर्ष 2021-22 से इंड एस का अंगीकरण किया।
- **उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड** ने वर्ष 2016-17 के लिए अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु इंड एस को अंगीकृत किया। इसके कारण इसकी तीन सहायक, अर्थात् नंदगंज सिहोरी शुगर कंपनी लिमिटेड, घाटमपुर शुगर कंपनी लिमिटेड, तथा छाता शुगर कंपनी लिमिटेड को वर्ष 2016-17 से इंड एस को अंगीकृत करना आवश्यक हो गया। यद्यपि, तीनों सहायक ने इंड एस को अंगीकृत करने में वर्ष 2017-18 तक विलम्ब किया।

इंड एस को अनिवार्य रूप से अंगीकृत करने के लिए विहित की गयी समय सीमा का पालन न करना एसपीएसई द्वारा न केवल विनियामक आवश्यकताओं

² एसपीएसई के नवीनतम अन्तिमीकृत वित्तीय विवरण।

का उल्लंघन है, अपितु इससे वित्तीय रिपोर्टिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप संरेखण में भी बाधा उत्पन्न हुई, जिससे वित्तीय विवरणों की तुलना एवं एकरूपता प्रभावित हुई।

इंड एस 101 के अंतर्गत समाधान आवश्यकताओं का अनुपालन न करना

4.7 इंड एस 101 (इंड एस का प्रथम-बार अंगीकरण) यह अधिदेशित करता है कि संस्थाएं यह स्पष्ट करें कि पिछले सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) से इंड एस में पारगमन ने उनके द्वारा प्रतिवेदित किये गये तुलन पत्र, वित्तीय प्रदर्शन, तथा नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया। इस आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए किसी संस्था के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में उसकी इक्विटी तथा कुल व्यापक आय का समाधान सम्मिलित होना चाहिए। इन समाधानों के लिए उपयोगकर्ताओं को तुलन पत्र, लाभ एवं हानि के विवरण, तथा नकदी प्रवाह के विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिन 25 एसपीएसई ने इंड एस को अंगीकृत किया था, उनमें से 19 एसपीएसई ने अपने प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में आवश्यक समाधान विवरण तैयार नहीं किए थे।

इन 19 एसपीएसई द्वारा अपने प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों में आवश्यक समाधान विवरण तैयार न करना, इंड एस 101 के अनिवार्य प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे न केवल जीएएपी से इंड एस में पारगमन की प्रक्रिया की पारदर्शिता कम हुई, बल्कि पणधारियों को तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, तथा नकदी प्रवाह विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तुलनात्मक सूचनाएँ से भी वंचित होना पड़ा।

चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर इंड एस को अंगीकृत करने का प्रभाव

4.8 इंड एस को अंगीकृत करने से लाभ/हानि, राजस्व, कुल परिसम्पत्तियों, तथा नेट वर्थ के प्रतिवेदित आँकड़े प्रभावित हो सकते हैं। प्रभाव की सीमा और दिशा इंड एस को अंगीकृत करने के समय एसपीएसई द्वारा अपनाए गए विकल्पों पर निर्भर करती है। इंड एस³ को अंगीकृत करने वाले 25 एसपीएसई के कर पश्चात् लाभ, राजस्व, कुल परिसम्पत्तियों, तथा नेट वर्थ पर इंड एस के अंगीकरण के प्रभाव पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

³ मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर, जिसने वर्ष 2018-19 के लिए अपने प्रथम वित्तीय विवरणों से इंड एस को अंगीकृत किया था, और इसलिए, इंड एस को अंगीकृत करने के कारण कर पश्चात् लाभ, राजस्व, कुल परिसम्पत्तियों और नेट वर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(अ) कर पश्चात् लाभ पर प्रभाव

कर पश्चात् लाभ (पीएटी) से तात्पर्य उस धनराशि से है जो संस्था द्वारा अपने सभी परिचालन तथा गैर-परिचालन व्ययों, अन्य दायित्वों तथा करों का भुगतान करने के बाद शेष रहती है। यह लाभ वह है जो संस्था द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है अथवा संचयों में प्रतिधारित आय के रूप में रखा जाता है। इंड एस को अंगीकृत करने के परिणामस्वरूप राजस्व, व्यय, परिसम्पत्तियों, तथा दायित्वों की विभिन्न मदों के मूल्यांकन में परिवर्तन किसी संस्था के पीएटी को प्रमुख रूप से प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 एसपीएसई में से 15 एसपीएसई के पीएटी पर इंड एस को अंगीकृत करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष 10 एसपीएसई में, इंड एस को अंगीकृत करने के कारण पीएटी पर ₹ 162.58 करोड़ का कुल शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 132.03 करोड़ से लेकर ₹ 244.23 करोड़ तक था, जैसा कि तालिका 4.2 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.2: कर पश्चात् लाभ पर शुद्ध प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	पीएटी पर प्रभाव		शुद्ध प्रभाव
		वृद्धि (+)	कमी (-)	
1.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.25	-125.27	-117.02
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	263.50	-19.27	244.23
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	22.34	-17.80	4.54
4.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	72.97	-2.01	70.96
5.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	108.44	-20.29	88.15
6.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	1.41	-0.24	1.17
7.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	-132.03	-132.03
8.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	0.44	-0.03	0.41
9.	उ.प्र. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.63	-0.66	0.97
10.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.56	-0.36	1.20
शुद्ध संचयी प्रभाव				162.58

स्रोत: एसपीएसई के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों तथा एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

आय तथा व्यय की विभिन्न मदों में वृद्धि या कमी में योगदान देने वाले कारक/कारण, तथा पीएटी पर उनका शुद्ध प्रभाव परिशिष्ट 4.4 में वर्णित है।

(ब) परिचालन से राजस्व पर प्रभाव

इंड एस 18 (राजस्व) के अनुसार, राजस्व, किसी अवधि के दौरान संस्था के सामान्य कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाले आर्थिक लाभों का सकल अंतर्वाह है, जब इन अंतर्वाहों के परिणामस्वरूप इक्विटी में वृद्धि होती है, परन्तु इसमें, इक्विटी प्रतिभागियों के योगदान से सम्बन्धित वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। परिचालन से राजस्व के मूल्यांकन में परिवर्तन किसी संस्था के परिचालन से राजस्व की धनराशि को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 एसपीएसई में से 19 एसपीएसई के परिचालन से राजस्व पर इंड एस को अंगीकृत करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष छः एसपीएसई के प्रकरण में, इंड एस को अंगीकृत करने के कारण परिचालन से राजस्व पर (-) ₹ 35.70 करोड़ का कुल शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 40.07 करोड़ से लेकर ₹ 3.30 करोड़ तक था, जैसा कि तालिका 4.3 में संक्षेपित है।

तालिका 4.3: परिचालन से राजस्व पर शुद्ध प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	इंड एस के अनुसार परिचालन से राजस्व	जीएएपी के अनुसार परिचालन से राजस्व	शुद्ध प्रभाव
1.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	11,994.79	11,991.49	3.30
2.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	6,634.55	6,635.61	-1.06
3.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	9,180.77	9,178.66	2.11
4.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,642.57	1,682.64	-40.07
5.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	28.69	28.71	0.02
6.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.0043	0.00	0.0043
शुद्ध संचयी प्रभाव				-35.70

स्रोत: एसपीएसई के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों तथा एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

परिचालन से राजस्व में वृद्धि/कमी पूर्व अवधि की मदों के लिए समायोजनों तथा राजस्व मान्यता की पद्धति में परिवर्तन के कारण हुई।

(स) कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव

परिसम्पत्तियाँ मूर्त वस्तुएँ या अमूर्त अधिकार हैं जो किसी संस्था के स्वामित्व में होते हैं तथा जिनसे भविष्य में संभावित लाभ प्राप्त होने है। इंड एस को अंगीकृत करने के पश्चात् परिसम्पत्तियों का मूल्य जीएएपी की तुलना में इंड एस के अंतर्गत निर्धारित लेखा विधियों में अंतर के कारण प्रभावित हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 एसपीएसई में से 19 एसपीएसई की कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य पर इंड एस को अंगीकृत करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष छः एसपीएसई में, इंड एस को अंगीकृत करने के कारण कुल परिसम्पत्तियों के मूल्य पर ₹ 1,879.31 करोड़ का कुल शुद्ध प्रभाव पड़ा, जो (-) ₹ 1,064.12 करोड़ से लेकर ₹ 8.55 करोड़ तक था, जैसा कि तालिका 4.4 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.4: कुल परिसम्पत्तियों पर शुद्ध प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव		
		वृद्धि	कमी	शुद्ध प्रभाव
1.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.60	-0.05	8.55
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	-1,064.12	-1,064.12
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	-747.12	-747.12

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	कुल परिसम्पत्तियों पर प्रभाव		
		वृद्धि	कमी	शुद्ध प्रभाव
4.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	48.25	-124.17	-75.92
5.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	1.19	-1.16	0.03
6.	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	3,605.30	-3,606.03	-0.73
शुद्ध संचयी प्रभाव				-1,879.31

स्रोत: एसपीएसई के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों तथा एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

परिसम्पत्तियों की विभिन्न मदों में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारकों/कारणों का विवरण परिशिष्ट 4.5 में वर्णित है।

(द) नेट वर्थ पर प्रभाव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) के अनुसार नेट वर्थ का अभिप्राय लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार समादत शेयर पूँजी, मुक्त संचय⁴ तथा प्रतिभूति प्रीमियम लेखे के संकलित मूल्य से संचित हानियाँ, आस्थगित व्यय तथा अपलिखित न किए गए प्रकीर्ण व्यय के संकलित मूल्य की कटौती करने पश्चात् प्राप्त मूल्य से है। इंड एस को अंगीकृत करने के पश्चात् जीएएपी की तुलना में इंड एस के अंतर्गत निर्धारित लेखा विधियों में अंतर के कारण नेट वर्थ प्रभावित हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 एसपीएसई में से 14 एसपीएसई की नेट वर्थ पर इंड एस को अंगीकृत करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेष 11 एसपीएसई में से 10 एसपीएसई ने नेट वर्थ में ₹ 244.34 करोड़ की कमी का अनुभव किया, जबकि एक एसपीएसई ने ₹ 150.85 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, जो (-) ₹ 93.49 करोड़ के कुल शुद्ध प्रभाव को इंगित करता है, जैसा कि तालिका 4.5 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.5: नेट वर्थ पर शुद्ध प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	इंड एस के अनुसार नेट वर्थ	जीएएपी के अनुसार नेट वर्थ	शुद्ध प्रभाव
1.	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,798.83	3,945.85	-147.02
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-5,138.72	-5,289.57	150.85
3.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-40,69.12	-4,064.37	-4.75
4.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-2,120.88	-2,120.74	-0.15
5.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-10,148.64	-10,128.35	-20.29
6.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	-2,248.76	-2,248.50	-0.26
7.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,121.23	9,189.74	-68.51
8.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	4.45	4.54	-0.09
9.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	291.46	291.82	-0.36

⁴ मुक्त संचय, निधियों में परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यहास की कटौती और समामेलन से निर्मित संचय सम्मिलित नहीं होती हैं।

क्र. स.	एसपीएसई का नाम	इंड एस के अनुसार नेट वर्थ	जीएपी के अनुसार नेट वर्थ	शुद्ध प्रभाव
10.	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	3,603.28	3,604.38	-1.09
11.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	290.09	291.91	-1.82
शुद्ध संचयी प्रभाव				-93.48

स्रोत: एसपीएसई के प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों तथा एसपीएसई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित

10 एसपीएसई के नेट वर्थ में यह कमी इंड एस को अंगीकृत करने के पश्चात् संचित हानि की मात्रा में वृद्धि के कारण तथा एक एसपीएसई के नेट वर्थ में यह वृद्धि संचित हानि की मात्रा में कमी के कारण हुई।

निष्कर्ष

इंड एस को अंगीकृत करने के परिणामस्वरूप वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में बदलाव हुआ, जिससे उनके प्रथम इंड एस-अनुरूप वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर पश्चात् लाभ (₹ 162.58 करोड़) पर सकारात्मक संचयी प्रभाव पड़ा, तथा परिचालन से राजस्व (₹ 35.70 करोड़), कुल परिसम्पत्तियों (₹ 1,879.31 करोड़), एवं नेट वर्थ (₹ 93.39 करोड़) पर नकारात्मक संचयी प्रभाव पड़ा।